न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 70/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/173

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
पेमाराम पुत्र जेताराम जाति सीरवी निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली		1. ग्राम पंचायत दुदौड़ जरिये सरपंच 2. देवासी श्मशान भूमि दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली जरिये संस्थापक दुदौड़ देवासी श्मशान भूमि। 3. मांगीलाल पुत्र बादरराम 4. श्रवण पुत्र वागाराम, जाति देवासी निवासीगण दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे।

—: निर्णय :—

दिनांक : 20/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7285 दिनांक 27.11.2009 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने श्मशान की भूमि का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। जैर निगरानी पट्टे का कुछ हिस्सा प्रार्थी की पट्टे सुदा भूमि में आता है। जैर निगरानी पट्टा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जारी न होकर व्यक्तिगत रूप से जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे की कोई मिसल दर्ज नहीं हुई, न ही पंचायती राज नियमों के तहत किसी प्रक्रिया की पालना की गई है। ग्राम पंचायत ने पश्चिम में रास्ते की भूमि को समाहित करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया तथा उक्त पट्टा निःशुल्क जारी किया है, जो विधिविरूद्ध है। जैर निगरानी आराजी पट्टासुदा निजी सम्पति है, जिसका पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जिसे खारिज फरमावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 व 4 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रश्नगत पट्टे के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है, अविधिक तथ्यों जैसी कोई स्थिति नहीं है। ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक रूप से देवासी समाज को श्मशान हेतु जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत ने उक्त पट्टा आबादी भूमि में ही जारी किया है, जिसमें प्रार्थीगण की पट्टेसुदा भूमि का कोई भी भाग शामिल नहीं है। यदि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टे की मिसल उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक का कोई दोष नहीं है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7285 दिनांक 27.11.2009 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि ग्राम पंचायत ने प्रार्थी की पट्टेसुदा भूमि एवं रास्ते की भूमि को शामिल करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। विपक्षी अधिवक्ता ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने नजूल सम्पत्ति का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इन तथ्यों की पुष्टि हेतु जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस पूर्व दिशा मे पड़त, पश्चिम दिशा में रास्ता एवं वाडिया का जाव, उत्तर दिशा में धारेश्वर सड़क तथा दक्षिण दिशा में गणपत/रामाजी राव का थाला अंकित है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत दूदौड़ द्वारा प्रार्थी पेमाराम के पक्ष में जारी पट्टे में अंकितानुसार पूर्व दिशा में पड़त आबादी भूमि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में धारेश्वर स्टेशन जाने वाली सड़क एवं दक्षिण दिशा में पेमाराम का नोहरा के पड़ौस अंकित है। हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी ने पट्टे पर पट्टे के सम्बन्ध में केवल मौखिक तर्क किये। उन्होंने इन तर्कों को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज या सबूत प्रस्तुत नहीं किये। जब कोई वकील कोई तर्क देता है, तो उस तर्क को साबित करने का भार उसी अधिवक्ता पर होता है लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए बिना प्रमाण के अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किया गया तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी प्रकरण में केवल मौखिक तर्क काफी नहीं होते, जब तक कि उन्हें ठोस दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध न किया जाए। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता प्रार्थी का उपरोक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस उज्र यह था कि जैर आराजी का सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन है इसलिये वाद विचाराधीन रहते न्यायालय द्वारा उक्त पट्टे के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे वैधानिकता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को है। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी ने केवल यह उज्र किया कि प्रश्नगत आराजी का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है, उसके सम्बन्ध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किये है। हस्तगत प्रकरण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

में प्रार्थी ने, जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने देवासी शमशान भूमि दूदौड़ के नाम से जैर निगरानी पट्टा नियम 167(1) प्रारूप 23 के तहत जारी किया गया है, जिसका क्षेत्रफल 18,875 वर्गफीट है। प्रकरण में यह विधिक प्रश्न प्रकट होता है कि क्या किसी समाज विशेष को श्मशान भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है ? भारतीय संविधान की धारा 14 (भारत में समानता) यह सुनिश्चित करती है कि कानून समता बनाए रखे। यदि कोई स्थानीय प्राधिकार किसी एक जाति/समुदाय को विशेष अधिकार देता है, तो यह अन्य समुदायों के साथ असमान व्यवहार माना जा सकता है। श्मशान भूमि एक सार्वजनिक सुविधा है। यदि यह सार्वजनिक उपयोग है, तो इसे किसी समुदाय विशेष को विशेषाधिकार देना, यदि अन्य समुदायों को समान अवसर न हो, तो विवादास्पद हो सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियमों में विशेष रूप से श्मशान भूमि के लिए किसी समुदाय को पट्टा देने का प्रावधान नहीं है अर्थात् पंचायत ने बिना किसी नियम या आधार के उक्त पट्टा जारी किया है जो विधि के अनुरूप नहीं है। राजस्थान पंचायती राज नियम में निःशुल्क पट्टा की व्यवस्था आबादी भूमि आवंटन के सन्दर्भ में कुछ सीमित मामलों में है लेकिन सामान्य आवंटन (निवासीय/आबादी) के लिए है, न कि विशेष श्मशान भूमि के लिए। हालांकि प्रश्नगत पट्टे पर ग्राम पंचायत ने सार्वजनिक उपयोग हेतु निःशुल्क अंकित किया है लेकिन पट्टा धारक के रूप में देवासी श्मशान भूमि अंकित किया है और वो भी प्रश्नगत पट्टा निःशुल्क सीमा में वर्णित प्रावधानों से अधिक 18,875 वर्गफीट क्षेत्रफल का जारी किया गया। भूमि जब सार्वजनिक उपयोग के लिए हो, तो इसे निजी उपयोग की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन इस सार्वजनिक उपयोग को समावेशी और सभी के लिए खुला होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी एक समुदाय तक समिति। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपनायी प्रक्रिया विधिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है।

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड में केवल पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ही प्राप्त हुआ, मिसल उपलब्ध नहीं होना बताया है, साथ ही जैर निगरानी पट्टे पर भी मिसल संख्या का अंकन नहीं है और

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

आश्चर्यजनक तथ्य यह भी है कि प्रश्नगत पट्टा में कहीं पर भी प्रस्ताव संख्या का अंकन भी नहीं है। इस स्थिति में यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना मिसल कायम किये, बिना किसी प्रस्ताव के जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो Ab Initio Void है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ 458 Dhanraj and Anr. vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट की है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगे गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियां भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ–अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। इसी प्रकार 1996 DNJ (Raj.) 413 Mahaveer Prasad vs State of Rajasthan & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत (साधारण) नियम, 1961–नियम 256 व 260–पंचायत द्वारा भूमि का विक्रय–प्रार्थी के पक्ष में पट्टा जारी–अपर कलेक्टर ने पट्टा और विक्रय की सारी कार्यवाही को रद्द कर दी–पंचायत का प्रस्ताव रजिस्टर में नहीं लिखा है–भूमि के विक्रय हेतु कोई लोक सूचना जारी नहीं हुई–अभिनिर्धारित, रिट याचिका गुणागुणहीन होने से खारिज की जाती है। हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टे की मिसल कायम नहीं की गयी जिससे यह साबित है कि उक्त पट्टा जारी करने के दौरान राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पालना नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. इसी प्रकार 2009 0 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा आवंटन के सामान्य नियमों की अनदेखी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

की गई हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 7285 दिनांक 27.11.2009 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली